CNR	: MP41010096602022	Date of Filing	: 19-12-2022
Case No.	: RCT/2968/2022	Date of Registration	: 19-12-2022
Prosecution	: Police Station Nahar Darwaja	Accused	: SHABNAM BEE S/O BADRUDDIN KHA
Petitioner Advocate	: ALKA RANA	Respondent Advocate	:
Police Station	: Nahar Darwaja	FIR No. / Year	: 419 /2022

11.02.2023

राष्ट्रीय लोक अदालत, फरवरी 2023

राज्य द्वारा ए.डी.पी.ओ. उपस्थित।

अभियुक्तगण अनुपस्थित।

प्रकरण परस्पर समझौते द्वारा निराकरण हेतु राष्ट्रीय लोक अदालत, 2023 में सुनवाई हेतु लिया गया।

आरोपित अपराध में धारा 294, 323 सहपठित 34, 506 (भाग–दो) भा.दं.सं. शमनीय प्रकृति के हैं। आवेदकगण अपराध का शमन करने में सक्षम है।

पूर्व पेशी दिनांक को उभयपक्ष से पूछे जाने पर उन्होंने राजीनामा स्वैच्छिक किया जाना व्यक्त किया था तथा शपथ पर राजीनामा कथन किये थे तथा उनकी पहचान उनके अधिवक्ता द्वारा की गयी थी।

उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित एवं छायाचित्रयुक्त राजीनामा स्वैच्छिक किये जाने के आधार पर उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत उक्त राजीनामा आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है।

अतः उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत राजीनामा आवेदन पत्र न्यायहित में स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप **अभियक्त शबनम बी पति बदरूद्दीन, रिमशा पिता बदरूद्दीन एवं राजा पिता मुशाफिर शाह** को भा.दं. सं. की 294, 323 सहपठित 34, 506 (भाग–दो) के आरोप से **दोषमुक्त** किया जाता है।

अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत मुचलके भारमुक्त समझे जावे।

अभियुक्तगण द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में व्यतीत की गयी अवधि के संबंध में धारा 428 दं.प्र.सं. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

प्रकरण में जप्तशुदा डण्डा मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात नष्ट किया जावे एवं अपील होने की

दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

प्रकरण का परिणाम सी.आय.एस. व संबंधित पंजी में दर्ज कर प्रकरण विहित समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जावे।

श्री जितेंद्र सुनारतिया	श्री प्रियांशु पांडे
{सदस्य}	{पीठासीन अधिकारी}
खण्डपीठ क्र.–8	खण्डपीठ क्र.–8
जिला देवास, म.प्र.	जिला देवास, म.प्र.

PRIYANSHU PANDE

Digitally signed by PRIYANSHU PANDE
Date: 2023.02.11 17:32:04 +0530